Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **ड़ीग में सहायक उप निरीक्षक पुलिस 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *01 नवम्बर बुधवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भरतपुर ईकाई द्वारा आज ड़ीग में कार्यवाही करते हुये विश्वामित्र, हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कैथवाड़ा जिला ड़ीग को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की भरतपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे भतीजे के विरूद्ध कैथवाड़ा थाने में दर्ज प्रकरण में मेरी भतीजी को आरोपी नहीं बनाने व प्रकरण में मदद करने की एवज में विश्वामित्र सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना कैथवाड़ा द्वारा **20 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय श्री कालूराम रावत** के सुपरवीजन में, एसीबी की भरतपुर ईकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री अमित सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये विश्वामित्र पुत्र रामनाथ निवासी मालपुरा पुलिस रामगढ़ जिला अलवर, हाल निवासी पुराने थाने के पास कस्बा सीकरी पुलिस थाना सीकरी जिला डीग, हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कैथवाड़ा जिला डीग को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय श्री कालूराम रावत के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा आवास व अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।